यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हरिद्वार, उत्तराखंड** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

यह कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हरिद्वार, उत्तराखंड के माह 07/2018 से 08/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय त्यागी, श्री मुकेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री एसआर मीणा, व. लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 16.9.2020 से 23.9.2020 तक श्री पुष्कर, व. लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग-I</u>

1. **<u>परिचयात्मकः</u>** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मुन्ना राम, लेखापरीक्षा द्वारा श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे दिनांक 13.7.2018 से 18.7.2018 तक संपादित की गयी जिसमे 06/2016 से 06/2018 तक के अभिलेखो की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2018 से 08/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच संपादित की गयी।
2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**- इस संस्थान मे प्रशिक्षार्थियों को उद्योगों की आवश्यकतानुसार भारत सरकार डीजीटी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर अनुदेशकों द्वारा विभिन्न व्यवसायों मे तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान की जाती है। कार्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र उत्तराखंड के गढ़वाल मण्डल के हरिद्वार जिला के सम्पूर्ण क्षेत्र है।

   (ii) (अ) लेखापरीक्षा अवधि का बजट आबंटन एवं व्यय (राज्य सैक्टर) की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम/लेखाशीर्ष) (कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग)	आवंटन	व्यय	समर्पण/बचत
2017-18	2230,2071	726.24	719.84	6.40
2018-19	2230,2071	684.57	674.10	10.47
2019-20	2230,2071,4059	221.01	769.57	-548.56
2020-21 (8/20)	2230,2071	17.40	290.11	-272.71

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	**योजना का नाम/लेखाशीर्ष**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**आवंटन**	**योग**	**व्यय**	**अंतिम अवशेष (बैंक में)**
2017-18	----------NIL----------					
2018-19						
2019-20						
2020-21 (8/20)						

(ii) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य श्रोत राज्य सरकार/केंद्र सरकार है। स्थापना एवं गैर स्थापना व्यय/योजनांतरगत व्यय को सम्मलित करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है।

3 (i) विभाग का संगठनात्मक (उत्तराखंड शासन) ढांचा निम्नवत हैः-

1. सचिव
2. अपर सचिव
3. निदेशक
4. अपर निदेशक
5. प्रधानाचार्य
6. अनुदेशक
7. समूह ग एवं घ कर्मचारी
8. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः**- लेखापरीक्षा में **कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हरिद्वार, उत्तराखंड** के 7/2018 से 8/2020 की अवधि को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हरिद्वार, उत्तराखंड** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। इस लेखापरीक्षा मे माह 03/2019 & 02/2020 (Treasury head-BM 5) को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय की धनराशि के आधार पर किया गया।

(ii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी. पी. सी. एक्ट, 1971) की धारा- 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग 2 'ब'</u>

<u>प्रस्तर:01-</u> विभागीय असक्रियता के कारण रु 750.00 लाख की मॉडल आई टी आई प्रोजेक्ट का लक्ष्य निर्धारित समयावधि मे पूरा नहीं किया जाना।

डी जी ई टी भारत सरकार के पत्रांक DGET-35(4) Model-1/2014-NPIU दिनांक 25 जुलाई 2014 के दिशानिर्देश के क्रम में लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश मे आया कि जिला हरिद्वार में विभिन्न प्रकार के ख्याति प्राप्त लगभग 500 उधोग स्थापित हैं तथा इन उधोगों की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त प्रशिक्षार्थी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। अतः उधोगों की मांग के अनुरूप राज्य में एक मॉडल आई टी आई राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान हरिद्वार में खोले जाने का निर्णय दिसम्बर 2014 मे किया गया तथा प्रोजेक्ट का लक्ष्य मार्च 2017 तक पूरा किया जाना था, परंतु योजना की धीमी क्रियान्वयन के कारण अवधि मार्च 2020 तक बढ़ायी गयी। रु 750.00 लाख की स्वीकृत योजना में 70% केंद्रान्श के समतुल्य रु 525.00 लाख भारत सरकार से तथा 30% राजयांश के समतुल्य रु 225.00 लाख राज्य सरकार से व्यय किए जाने का प्रावधान पाया गया। जुलाई 2020 के भारत सरकार के जारी पत्र विवरण के अनुसार प्रोजेक्ट पर रु 167.75 लाख केंद्रान्श तथा रु 71.89 लाख राजयांश अर्थात कुल 239,64 लाख अब तक अवमुक्त किए गये जिसमे रु 183.22 लाख की राशि अप्रयुक्त बतायी गयी। निर्माण एजेंसी के प्रस्तुत विवरण के अनुसार ढांचागत विकास के लिए रु 190.90 लाख की मार्च 2018 में स्वीकृति के सापेक्ष ब्रीडकुल को मार्च 2018 में प्रथम किस्त के रूप मे रु 20.00 लाख तथा कुल रु 190.90 लाख की राशि अवमुक्त की गयी, परंतु अगस्त 2020 तक निर्माण एजेंसी द्वारा निर्माण कार्य पर रु 91.98 लाख व्यय करते हुए ढांचागत कार्य 64% बताया गया। गाइडलाइंस के अनुसार मॉडल आई टी आई की लिए गठित Institute Management Committee(IMC) द्वारा Implementation Plan मे दर्ज 03 वर्षों मे पूर्ण किए जाने वाले निर्धारित Target Performance Indicators 2018-19, 2019-20, तथा 2020-21 की अवधि के अनुरूप अपग्रेडेसन का लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके, फलतः ढांचागत कार्य अपूर्ण होने के कारण अपग्रेडेड व्यवसाय संचालन के लिए आहरित धनराशि रु 22.00 लाख बिना प्रयुक्त के अंत मे शासन को समर्पित कर दी गयी तथा परियोजना को समय से क्रियान्वयन कराने के लिए गठित IMC की बैठकों से संबन्धित प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार नियमित बैठक नहीं हो रही थी।

इस ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर किया गया कि IMC के पूर्व चेयरमैन का सक्रिय भागीदारी न होने के कारण मीटिंग गठित नहीं किया जा सका तथा निर्माण कार्य को संपादित कराने में निर्णय लेने में विलम्ब हुआ।

इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया, 03 वर्षीय प्रोजेक्ट का लक्ष्य मार्च 2017 तक पूरा किया जाना था, परंतु क्रियान्वयन मे सुस्ती के कारण पुनः 03 वर्ष की वृद्धि दी गयी जिसे मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना था, धन की पर्याप्तता होने के बावजूद मार्च 2018 के कार्य 03 वर्षों से ऊपर बीत जाने के बाद भी पूर्ण नहीं कराये जा सके तथा भवन की अपूर्णता के बावजूद अनियोजित ढंग से

व्यवसाय संचालन के लिए सरकारी धन का आहरण कर समर्पण करना कार्य निष्पादन मे सजगता की कमी पायी गयी। कार्य संचालन के लिए IMC के नियमित बैठकों का अभाव देखा गया फलतः मॉडल आई टी आई में रोजगारपरक व्यवसाय समय से सृजित कर प्रशिक्षार्थी उपलब्ध कराने मे विभाग असफल रही।

अतः प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

<u>भाग 2'ब'</u>

<u>प्रस्तर:02-</u> धनराशि ` 23.77 लाख का बैंक खाते मे अवरोधन किया जाना एवं धनराशि ` 8.55 लाख राजकोष मे जमा नहीं किया जाना।

वित्त विभाग के निर्देशानुसार पार्किंग फ़ंड हेतु धनराशि का न तो आहरण किया जाय तथा न ही कार्य होने की प्रत्याशा मे बैंक ड्राफ्ट बनाकर रखा जाय। यदि किसी विभाग मे एक वर्ष से अधिक अवधि तक धनराशि विभागीय बैंक खाते मे जमा पायी जाती है तो इस प्रकार का कृत्य वित्तीय अनियमितता की श्रेणी मे आता है। वित्त विभाग के शासनादेशानुसार विभागीय बैंक खाते मे जमा धनराशि पर अर्जित ब्याज को राजकोष मे जमा किया जाना चाहिए।

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, हल्द्वानी, नैनीताल के पत्रानुसार (6.6.2020) समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को निर्देशित किया गया कि तृतीय शिफ्ट कक्षाओं (यूनिट) के अंतर्गत व्यवसाय संचालन हेतु संस्थान के बैंक खाते मे अवशेष धनराशि ` 85,69,035/- को यूकेडबल्यूडीपी परियोजना के एसपीआईयू के खाते मे स्थानांतरित कर दिया जाय। तृतीय शिफ्ट के अंतर्गत व्यवसाय संचालन हेतु प्रशिक्षार्थी से प्रशिक्षण शुल्क के रूप मे धनराशि ` 10,000/- की दर से जमा किया जाता था।

इकाई प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हरिद्वार के बैंक खाते के नमूना जांच मे निम्न तथ्य प्रकाश मे आया:

1) कार्यालय मे संचालित बैंक खाता - यस बैंक, हरिद्वार खाता संख्या 061094600001016 के जांच मे पाया गया कि अप्रैल 2018 मे धनराशि ` 20.00 लाख जमा किया गया एवं अप्रैल 2018 से लेखापरीक्षा तिथि इस धनराशि पर `2,85,823/- ब्याज अर्जित हुआ जो बैंक खाते मे अवशेष पड़ी हुयी है। वर्तमान तक इस खाते से किसी भी प्रकार की धनराशि व्यय नहीं पाया गया।

2) इसी प्रकार कार्यालय मे संचालित बैंक खाता - इलाहाबाद बैंक, हरिद्वार खाता संख्या 20342044202 के जांच मे पाया गया कि लेखापरीक्षा तिथि तक धनराशि ` 3,77,468/- अवशेष पाये गए जिसमे लगभग 28000/- की धनराशि अर्जित ब्याज की थी।

3) राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हरिद्वार के तृतीय शिफ्ट के व्यवसाय संचालन हेतु प्राप्त धनराशि के बैंक खाते की जांच मे पाया गया कि 30.5.2020 को बैंक खाते मे धनराशि ` 569100/- अवशेष पाया गया था जिसे कि उपरोक्त निदेशालय के पत्र के अनुसार State Project Implementation Unit Society के नाम पर सहायक निदेशक एसपीआईयू देहारादून को चेक संख्या 027666 दिनांक 22.6.2020 के द्वारा प्रेषित कर दिया गया। अगर उक्त धनराशि का उपयोग नहीं किया जाना था तो धनराशि को शासकीय खाते मे जमा किया जाना चाहिए था न की यूकेडबल्यूडीपी परियोजना के एसपीआईयू के खाते मे क्योंकि यूकेडबल्यूडीपी परियोजना विश्व बैंक से वाहयपोषित है एवं यह धनराशि प्रशिक्षार्थी से प्रशिक्षण शुल्क के रूप मे ली गई है। लेखापरीक्षा मे पाया गया कि इस संबंध मे शासन/वित्त विभाग से किसी प्रकार की अनुमति नहीं लिया गया था। अतः निदेशालय के द्वारा दिया गया निर्देश वित्तीय नियम के विपरीत है।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त विंदुओं को इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर मे बताया कि:

बिन्दु संख्या 01- वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति न मिलने के कारण धनराशि का उपयोग नहीं हो पाया है।

बिन्दु संख्या 02- इस खाते मे प्रशिक्षार्थीयों की काशनमनी की धनराशि जमा है जो कि शासकीय खाते मे जमा कर दिया जाएगा।

बिदु संख्या 03- निदेशालय के पत्रानुसार धनराशि को जमा किया गया। इस संबंध मे निदेशालय से जानकारी प्राप्त कर सूचित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा को उक्त बिन्दुओं पर इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वित्त विभाग के आदेश के विपरीत बैंक खाते मे धनराशि का अवरोधन किया गया था एवं ब्याज की धनराशि को नियमानुसार राजकोष मे जमा नहीं किया गया था।

अतः उक्त प्रकरण को प्रकाश मे लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर:01-</u> इकाई द्वारा ₹ 5.00 लाख का अनुरक्षण मद मे संस्थान की कार्यशाला मे Aluminium partition,फाल सिलीङ्ग, विद्युत वायरिंग तथा रंगाई पुताई के कार्य के सापेक्ष अनियमित व्यय।

प्रधानाचार्य राजकीय ओधोगिक प्रशिक्षण संस्थान हरिद्वार द्वारा सम्प्रेक्षा को प्रस्तुत किये गये लघु निर्माण मद संख्या-25 से संबन्धित अभिलेखो की सम्प्रेक्षा जांच मे पाया गया कि प्रधानाचार्य राजकीय ओधोगिक प्रशिक्षण संस्थान **हरिद्वार** को निदेशक(प्रशिक्षण) प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय उत्तराखंड ,हल्द्वानी (नैनीताल) के पत्र संख्या -421-22/डीटीईयू/प्रशि0/लघु निर्माण/स्वीकृति/2019 दिनाक: 18/01/19 द्वारा लेखा शीर्षक -2203-03-003-07 के अन्तर्गत संस्थान की कार्यशाला मे Aluminium partition ,फाल सिलीनग, विधुत वायरिंग तथा रंगाई पुताई के कार्य हेतु ₹ 5.00 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त प्रकरण मे संस्थान के सुद्रढ़ीकरण से संबन्धित अभिलेखो की सम्प्रेक्षा जांच मे पाया गया कि इकाई द्वारा पत्र संख्या -लेखा/लघु निर्माण /2018-19/515-21 दिनाक -05/02/19 द्वारा ₹ 5.00 लाख की धनराशि उक्त कार्य के क्रियावयन्न हेतु E-चालान के माध्यम से कार्य दायी संस्था अधिशासी अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग, हरिद्वार को ट्रान्सफर की गयी थी। आगे उक्त कार्य से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि सम्प्रेक्षा तिथि -09/20 तक उक्त कार्य का हस्तांतरण संस्थान को कार्य दायी संस्था अधिशासी अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग, हरिद्वार द्वारा नहीं किया गया था एवं निदेशक(प्रशिक्षण) प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय उत्तराखंड, हल्द्वानी (नैनीताल) के निर्देशानुसार उक्त कार्य की third party inspection जांच भी इकाई स्तर पर लम्बित थी। आगे जांच मे यह भी पाया गया कि शासन द्वारा दो संस्थाओ के बीच कार्य प्रारम्भ से पूर्व दोनों पक्षो के बीच कार्य का MOU अनिवार्य रूप से होना अनिवार्य था, जिसका संस्थान द्वारा अनुपालन करना भी नहीं पाया गया। आगे सम्प्रेक्षा जांच मे पाया गया कि **उक्त कार्य के सम्प्रेक्षा तिथि -09/20 तक कार्य दायी संस्था अधिशासी अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग, हरिद्वार द्वारा संस्थान को उक्त कार्य के हस्तांतरण नहीं किये जाने का कारण लेखा परीक्षा द्वारा संस्थान से पूछने पर संस्थान द्वारा संप्रेक्षा को अवगत कराया कि उक्त कार्य का** निदेशक(प्रशिक्षण) प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय उत्तराखंड, हल्द्वानी (नैनीताल) के निर्देशानुसार third party inspection जांच की जानी है जबकि मुख्य सचिव उत्तराखंड देहरादून के शासनादेश संख्या-1213/का0257/ग्रा0अ0से0/2011 दिनाक -29/09/2011 के द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि यदि ग्राहक विभाग को निर्माण agency द्वारा भवन **हस्तांतरण प्रपत्र जमा करने के पश्चात तीन माह के अन्तर्गत संबन्धित निर्माण कार्य को अधिग्रहण नहीं करता तो उस निर्माण कार्य को हस्तांतरण समझा जायेगा। परन्तु संस्था द्वारा उक्त** शासनादेश संख्या का अनुपालन नहीं किया। उक्त शासनादेश संख्या का संदर्भ **कार्य दायी संस्था के पत्र संख्या -1164/तीन/भवन अधि0/2015-16 दिनाक-22/10/2016 मे भी किया है। आगे जांच मे यह भी पाया गया कि** संस्थान की कार्यशाला मे Aluminium partition ,फाल सिलीनग, विधुत वायरिंग तथा रंगाई पुताई के कार्य हेतु संस्थान द्वारा ₹ 5.00 लाख की धनराशि **कार्य दायी संस्था अधिशासी अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग, हरिद्वार को उक्त कार्य के** क्रियावयन्न हेतु प्रदान की गयी थी के सम्बंध मे कार्य पूर्ण होने एवं उक्त धनराशि के उपभोग करने का उपियोगिता प्रमाणपत्र की प्रति **कार्य दायी संस्था अधिशासी अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग, हरिद्वार द्वारा विभाग को सम्प्रेक्षा तिथि -09/20 तक उपलब्ध नहीं करायी गयी**

थी। आगे जांच मे पाया गया कि उक्त कार्य की समापन तिथि पर कार्य दायी संस्था से कार्य समापन पूर्ति प्रमाण पत्र की प्रति एवं annual work closing प्रमाण पत्र की प्रति विभाग द्वारा प्राप्त करना अपेक्षित था। परन्तु उक्त प्रपत्र भी कार्य दायी संस्था अधिशासी अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग, हरिद्वार द्वारा विभाग को सम्प्रेक्षा तिथि -09/20 तक उपलब्ध नहीं करायी गये थे। उक्त कार्य के हस्तांतरण नहीं किये जाने का कारण एवं कार्य से संबन्धित अन्य कमियो के बारे मे लेखा परीक्षा द्वारा संस्थान से पूछने पर संस्थान द्वारा संप्रेक्षा को अवगत कराया कि उक्त कार्य का निदेशक(प्रशिक्षण) प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय उत्तराखंड, हल्द्वानी (नैनीताल) के निर्देशानुसार third party inspection जांच की जानी है एवं किसी जांच एजेंसी का चुनाव जिसके द्वारा उक्त जांच का सम्पादन किया जाना अपेक्षित है, **सम्प्रेक्षा तिथि -09/20 तक विभाग स्तर पर लम्बित है। उक्त कार्य के संस्थान द्वारा** शासनादेश का अनुपालन नहीं किये जाने के बारे मे लेखा परीक्षा को अवगत कराया है कि भविष्य मे उक्त शासनादेश का अनुपालन किया जायेगा। भविष्य मे संस्था से नियमानुसार MOU कराया जायेगा एवं लेखा परीक्षा द्वारा सभी मांगी गयी सूचनाए **कार्य दायी संस्था अधिशासी अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग, हरिद्वार से प्राप्त कर सम्प्रेक्षा को उपलब्ध करायी जायेगी। लेखा परीक्षा मे संस्थान का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि यदि विभाग द्वारा** कार्य प्रारम्भ से पूर्व दोनों पक्षो के बीच कार्य का MOU अनिवार्य रूप से कराया गया होता तो विभाग नियत अवधि मे उक्त कार्य का समापन संस्था से करा पाता एवं मुख्य सचिव उत्तराखंड देहरादून के शासनादेश संख्या-1213/का0257/ग्रा0अ0से0/2011 दिनाक -29/09/2011 का अनुपालन कर पाता। परन्तु विभाग की उदासीनता एवं नियमो की अनदेखी के कारण सम्प्रेक्षा तिथि -09/20 तक उक्त कार्य हस्तांतरण संस्थान को कार्य दायी संस्था अधिशासी अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग, हरिद्वार द्वारा नहीं किया गया था एवं उक्त कार्य की third party inspection जांच लम्बित रहने के कारण उक्त कार्य पर कार्य की लागत बढ़ने की पूरी संभावना है एवं संस्थान के सुद्रढ़ीकरण से संबन्धित कार्यो की स्वीकृति निदेशालय उत्तराखंड, हल्द्वानी (नैनीताल) द्वारा जिस प्रयोजन की प्रतिपूर्ति हेतु लगभग 02 वर्ष पूर्व प्रदान की थी उसका उदेश्य भी सफल नहीं हो पाया। प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है ।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या/वर्ष	**भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या**	**STAN**
SS/062/2018-19	**-**	1,2,3,4,5	**-**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या**			**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
	भाग-दो-अ	**भाग-दो-ब**	**STAN**			

SS/062/2018-19	-	1,2,3,4,5	-	अप्रस्तुत	अनुपालन आख्या के अभाव मे यथावत	यथावत

इकाई के द्वारा उत्तर दिया गया कि विगत लेखापरीक्षा के जारी प्रस्तरों के निस्तारण हेतु अनुपालन आख्या तैयार करके उच्चाधिकारी के माध्यम से प्रधान महालेखाकर कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

------शून्य-------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हरिद्वार, उत्तराखंड** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः - शून्य
3. सतत् अनियमितताएः - शून्य
4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया था;

क्र. सं.	नाम	पद नाम	अवधि
01	श्री मनमोहन कुड़ियाल	प्रधानाचार्य	07/2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हरिद्वार, उत्तराखंड** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, देहरादून - पिन-248195 को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
ए.एम.जी-I